

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 53/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. गंगासहाय पुत्र हरफूल
2. श्रीनारायण पुत्र हरफूल
3. श्रागराज पुत्र रंगलाल जाति मीना निवारी अमावरा तहसील बामनवास

-प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास

-अप्रार्थी

वकील प्रार्थी - श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 25/6/25


प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1689 रकबा 0.84 है, स्थित ग्राम अमावरा तहसील बामनवास जिसके प्रार्थीगण ही एकमात्र खातेदार काश्तगार है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उपरोक्त भूमि से कोई संबंध या वास्ता नहीं है। उपरोक्त आराजी को प्रार्थीगण ही वहेसियत खातेदार काबिज रहकर उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। तथा लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे हैं। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का इस भूमि से कोई संबंध, ताल्लूक, वास्ता नहीं है। पड़ोसी खातेदार आये दिन प्रार्थीगण की उक्त आराजी की डोल मेड़ को ध्वस्तकर प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि में दबाने की नीयत रखते हैं जिसके चलते प्रार्थीगण को अपनी भूमि की डोल मेड़ के संबंध में पड़ोसी खातेदारान से आये दिन विवाद का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करा चुका है। फिर भी पड़ोसी खातेदारान आये दिन विवाद करते रहते हैं। जिससे प्रार्थीगण को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है जिससे आये दिन पड़ोसियों से झगड़े की संभावना बनी रहती है। आये दिन पड़ोसी खातेदारों से होने वाले विवादों के दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मद संख्या-1 में वर्णित अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिससे कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि के संबंध में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अनावश्यक विवादों से बचने के लिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस संबंध में प्रार्थीगण ने तहसीलदार बामनवास से पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन उन्होंने श्रीमानजी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर उचित आदेश लाने हेतु कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी लेण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास को आदेश दिया जावे कि वह टीम गठित कर आराजी खसरा नम्बर 1689 रकबा 0.84 है 0 स्थित ग्राम अमावरा तहसील बामनवास की पत्थरगढ़ी मय पुलिस जाप्ते के करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की ओर से अपने खाते की नकल जमावंदी एवं तहसीलदार वामनवास की ओर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमावन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम अमावरा पटवार मण्डल अमावरा भूअ.निरीक्षक क्षेत्र अमावरा तहसील वामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 1689 रकबा 0.84 है० स्थित ग्राम अमावरा तहसील अमावरा स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा वहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम अमावरा पटवार मण्डल अमावरा भूअ.निरीक्षक क्षेत्र अमावरा तहसील अमावरा में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 1689 रकबा 0.84 है० स्थित ग्राम अमावरा तहसील अमावरा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू० अ० निरीक्षक अमावरा को 1000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू०अ०निरीक्षक अमावरा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार वामनवास को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

  
(सुनील कुमार मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
वामनवास (सवाई गाधोपुर)